सब का जल

राष्ट्रीय जल नीति पर एक राष्ट्रीय विमर्श

केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने अभी हाल ही में में जून 2012 में अपनी वेबसाइट पर राष्ट्रीय जल नीति पर एक संशोधित प्रारूप डाला है । इससे पहले 1987, 2002 और 2012 में भी जलनीति पर सरकार प्रारूप पेश कर चुकी है । लेकिन कुल मिलकर इन सभी प्रारूपों में कुछ अधिक विभिन्नताएं नहीं हैं । जलनीति के इस संशोधित प्रारूप में कुछ सकारात्मक परिवर्तन किये गए हैं| इसके लिए मंत्रालय की सराहना की जानी चाहिए । इसके बावजूद इस प्रारूप में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है जिससे की इसे कुछ सुधारा जा सके या इसमें कुछ बदलाव किया जा सके ।

संशोधित प्रारूप के लिए कुछ बिंदु इस प्रकार है ।

1. पहले प्रारूप में सिफारिश की गयी थी की पानी को एक आर्थिक उन्नति के लिए माना जाना चाहिए । इस संसोधित प्रारूप में पीने के पानी और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम मात्रा को दरकिनार कर दिया है । यहाँ पर पानी की उपलब्ध न्यूनतम मात्रा को परिभाषित करने की आवश्यकता है ।

2. कई क्षेत्रों में आज भी यह समस्या है की पीने के पानी और घरेलु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए ।

3. राज्य सरकारों द्वारा पानी के दोहन से सम्बंधित क़ानूनी ढांचे में कहा गया है पानी को एक सामुदायिक संसाधनों के रूप में व्यवस्थित करने की आवश्यकता है । इसे पब्लिक ट्रस्ट के सिद्धांतो के अनुसार विकसित किया जाए जिससे की खाद्य सुरक्षा आजीविका के साधन और समानता पर आधारित सबके लिए स्थायी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ।

4. इसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को इस नीति में जोड़ दिया जाए । इसमें भविष्य के दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित किये जाने की भी आवश्यकता है ।

5. प्रयोग में लाये जाने वाले पानी की उपलब्धता को बढ़ाये जाने वाले अध्याय में बताया गया है की समग्र वाटरशेड विकास की गतिविधियों को पानी के परिपेक्ष्य में देखना होगा जिससे की भूमि पर पानी की उत्पादकता को बढाया जा सके । हालाकि इस अध्याय में इन्टर- बेसिन ट्रान्सफर का भी उल्लेख किया गया है , यह एक चिंता का भी विषय है ।

6. नदियों के कॉरिडोर (गलियारों) जल देहों और जल ढांचा शीर्षक के अंतर्गत अध्याय में कहा गया है कि इन्हें किसी को भी प्रदूषित करने का अधिकार नहीं है और इसको रोकने के लिए एक तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी रखने का भी प्रावधान किया गया है । जिसमे प्रदुषण फ़ैलाने वाले अपराधी लोगों और संस्थाओं को दण्डित करने का भी अधिकार दिया गया है ।

7. जल आपूर्ति और मल व्ययन (सैनिटेशन) अध्याय में बताया गया है की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में जल आपूर्ति की बहुत बड़ी असमानता है, इसे दूर करने की नितांत आवश्यकता है । इस अध्याय में वर्षा के पानी की खेती और मिट्टी की नमी को सोखने वाले पौधों को लगाने के लिए बढ़ावा देने की बात भी है । यह एक सकारात्मक सोच है ।

संशोधित नीति केप्रारूपों में विचारणीय मुद्दे :

1. इस नीति में मुख्य चिंता तो इस मुद्दे पर है की न्यूनतम पर्यावरणीय आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए , यह एक विचलित करने वाली बात है की न्यूनतम पर्यावरणीय आवश्यकताओं को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल काम है और अगर इसे किसी प्रकार परिभाषित भी किया जाता है तो यह पारिस्थितिकीय और स्थायी विकास की दिशा में आत्मघाती भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं की व्यवस्था विभिन्न प्रदेशों, क्षेत्रों और प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग हो सकती है ।

2. यद्यपि मौजूदा मसविदे (प्रारूप) में पहले प्रारूप की उस सिफारिश को खारिज़ किय गया है जिसमे पानी को एक आर्थिक माना गया है और पीने के पानी की ओर पारिस्थिकीय आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम मात्रा को नाकारा गया है। लेकिन फिर भी पीने के पानी की ओर सभी के लिए आवश्यक स्वस्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए घर घर में पानी की आपूर्ति और उपलब्धता के अद्दर पर न्यूनतम सीमा तो निर्धारित होनी ही चाहिए ।

3. अभी कोई भी ऐसा पर्याप्त सन्दर्भ नहीं है कि जिसमे की पारंपरिक तकनीकी और रिवाजों को परख कर यह कहा जा सके की अमुक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान एक स्थायी विकास की ओर ले जायेगा ।

4. पानी की इन्टर - बेसिन अदला बदली से पानी उपलब्धता को बढाने की बात से आगे भविष्य में अनेक समस्याएं और खतरे हैं । इन्हें भी ध्यान में रखना होगा ।

5. पानी मांग और पानी की कुशलता पूर्वक प्रयोग के लिए यह नीति अधिकतर केन्द्रियान्मुख है । इसमें पंचायतों और अन्य पानी पर आधारित समुदायों की भूमिका को मजबूत बनाने की आवश्यकता है । विभिन्न स्तरों पर इन संस्थाओं समुदायों के दायित्व और अधिकार निश्चित किये जाएँ ।

6. पानी से सम्बंधित ढांचागत कानूनों में पानी के प्रभंधन को पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांतो के अनुरूप बताया गया है । पानी की कीमतों के निर्धारण सम्बंधित अध्याय में इन के अंतर और उपलब्धता (बंटवारे) को लेकर भी कहा गया है । इस प्रारूप में हालाँकि जीवन यापन और खाद्य सुरक्षा हेतु पर्यावरणीय व्यवस्था को बनाये रखने और गरीबों की आजीविका को ध्यान में रखकर पर्याप्त बातें की गयी हैं । लेकिन यह एक सर्वविदित तथ्य है की जब कोई योजना क्रियान्वित की जाती है तो गरीबों को हमेशा पीछे की श्रेणी में ही स्थान मिलता है ।

अतः यह मौजूदा वक्तव्य बहुत खतरनाक है और इस बात की आवश्यकता है की इसमें गरीबों की आवश्यकताओं और उनको मिलने वाले सभी लाभों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए ।

7. इस नीति से यह स्पष्ट होता है की सरकार यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहती है । ऐसा पहले प्रारूप में भी दर्शाया गया है । संस्थागत प्रबंधन वाले अध्याय में सेवा आपूर्ति के लिए पब्लिक प्राइवेट साझेदारी को भी ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है ।

8.जल नीति में नदियों और बड़े जल संसाधनों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जबकि जल संरक्षण और जल संसाधनों को स्थायी रूप से मजबूत करने की भी आवश्यकता है । 70% ग्रामीण समुदाएँ और उनकी आजीविका के लाभ के लिए यह आवश्यक है की छोटे छोटे जल संग्रहों का संरक्षण किया जाये और इसके लिए कोई मजबूत रणनीति बनायीं जाये , इसके साथ साथ वर्षा बहुल क्षेत्रों में प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाये । ऐसे कार्य के लिए स्थानीय तकनिकी ही सार्थक सिद्ध होगी ।

9. पहले के प्रारूप में पुनर्वास, निर्धारण और निपटान की बात भी कही गयी थी । इन दोनों ही मुद्दों को वर्तमान संशोधित प्रारूप में नहीं रखा गया है । इसका अर्थ यह है की जल सम्बन्धी योजनाओं के कारन जो विस्थापन होगा उसकी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड लिया गया है ।

वर्तमान नीति में आमतौर पर निम्न शंकाएं प्रगट है :

वर्तमान नीति में पानी को सार्वजनिक संपत्ती स्त्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि इसे पब्लिक इसे पब्लिक ट्रस्ट के सिद्धांतों के बतौर लिया गया है । इससे साफ़ ज़ाहिर है की पानी को अब आर्थिक वास्तु मान लिया गया है और इस क्षेत्र में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

यद्यपि इस नीति में पानी के न्यूनतम मूल्य को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दरें तय करने की भी बात है । यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए की पानी समुदाय की शामलाती संपत्ति है ना की कोई आर्थिक इकाई । बड़े बड़े प्रोजेक्टों से फसलों और जैविक विभिन्नताओं को नुक्सान होता है , क्या इससे खाद्य फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा , इसे भी जानना और समझना होगा । इस नीतिगत दस्तावेज़ में समुदायों के अधिकार, फसलों की बुआई , करायी और जल संरक्षण और प्रबंधन पर भी विशेष रूप से महत्व दिए जाने की आवश्यकता है । जल राज्याधीन विषय है इसलिए पारंपरिक तकनिकी और जल प्रभंधन के लिए सारे उपाय राज्यों द्वारा ऐसे कानून बनाये जाएं जो की राष्ट्रीय जलनीति के दिशा निर्देशों पर आधारित हो । ये दिशा निर्देश जहाँ तक संभव हो स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए ।

जल नीति के विभिन्न मंत्रालयों जैसे वन, कृषि एवं वन संवर्धन , हरियाली को बढ़ावा देने वाले विभागों के बीच एक समुचित समन्वय होना चाहिए और इस कार्य को भी जलनीति में प्रमुखता से रखा जाना चाहिए । देश की बेहतरी के लिए कुछ जरुरी मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे वर्तमान जलनीति के प्रारूप पर सकारात्मक समर्थन / विचार करने के लिए एक सघन संवाद की आवश्यकता है जिससे की वर्तमान जल संकट पर समग्र और समानता लाने वाली ऐसी नीति बनायीं जा सके जो पर्यावरण के हित में भी हो । आवश्यकता इस बात की भी है कि हम पुरानी दो जल नीतियों की भी समीक्षा करें जो कि देश की कुल जल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए बनायीं गयी थी । इन नीतियों के कारण किन किन क्षेत्रों की अवहेलना हुई है और कहाँ कहाँ पर इस नीतियों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है । ऐसा करने से इस नयी नीति में एक व्यावहारिक सोच डालने में सफलता मिलेगी जिसके माध्यम से हम समानता के आधार पर स्थायी विकास की ओर आगे बढ़ सकेंगे ।

प्रति व्यक्ति पर उपलब्ध होने वाली पानी की मात्र में गुणवत्ता औसतन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है क्योंकि पानी की गुणवत्ता में भी दिनों दिन गिरावट आती जा रही है । देश की बहुसंख्यक वर्ग के लिए पीने के लिए स्वातक स्वच्छ पानी और शौचालयों आदि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । शौचालय

और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के लिए पानी अभी भी एक स्वप्न की भांति अधिकांश लोगों के मन में पल रहा है । पानी के वितरण में असामनता किसी भी कीमत पर अक्षम ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है ।

1. नदियों और अन्य जल स्त्रोतों में न्यूनतम जल प्रवाह की मात्रा तय की जाए । यह उनके और लोगों के जीवन की लिए अति आवश्यक है जो लोग इन स्त्रोतों के सहारे रहते हैं वे इन्हीं स्त्रोतों से अपनी आजीविका भी चलाते हैं और जीवन निर्वाह करते हैं ।

2. इन जल संसाधनों को कृषिगत एवं औद्योगिक प्रदुषण से बचाया जाए ।

3. नदी क्षेत्रों में रेत निकालने पर कठोर नियंत्रण रखा जाए ।नदियों और तालाबों आदि के पलने वाले जीवों एवं अन्य पर्यावरणीय तटों को संरक्षण दिया जाए, उनकी देखभाल भी की जाए ।

4. समुदायों पर आधारित जल प्रबंधन संस्थानों के लिए उनकी भूमिका दायित्वों की समुचित व्याख्या की जानी चाहिए जैसे वाटरशेड प्रबंधन संस्थाएं , पानी उपभोक्ता परिषदें , निवासी कल्याण परिषदें और संयुक्त जल प्रबंधन (JFM) आदि संस्थाएं । इन सभी संस्थाओं को पंचायत राज्य संस्थाओं के साथ समग्रित करना चाहिए और इनकी बातों को भी पूरी प्रक्रिया में प्रमुखता दी जानी चाहिए ।

5. इस जलनीति में उन क्षेत्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है । नयी नीति में इन क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । वास्तविकता तो यह होनी चाहिए की इन वर्षा बाहुल्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर रणनीति बनाने और उपाय करने की आवश्यकता है ।

उपसंहार

1. पानी को एक पवित्र प्राकृतिक संसाधन के रूप में ही लेना चाहिए । अतः इससे यह सन्देश भी निकलता है कि जो भी व्यक्ति पानी का उपयोग करता है उसका यह भी दायित्व है की वह उसका संवर्धन भी करे और इसकी रक्षा भी करे ।

2. इस सम्बन्ध में सरकार की निष्ठापूर्वक यह बुनियादी ज़िम्मेदारी भी है कि वह प्रत्येक स्तर पर पानी के संसाधनों का संवर्धन करे और उचित प्रभंधन भी । इसका यदि यह अर्थ लगाया जाता है की बड़े बड़े प्रोजेक्टों को चलाकर हम पानी की समस्या को हल कर सकते हैं तो यह केवल नादानी ही होगी । इसके लिए सरकार को कोई ऐसी प्रक्रिया चलानी होगी जिससे जल प्रबंधन सम्बंधित और सामान वितरण के लिए समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके ।

अंत में , संयुक्त राष्ट्र संघ की 78 सामान्य आम सभा में पारित उस प्रस्ताव का उल्लेख करना जरुरी है जिसमे जोर देकर कहा गया है कि स्थायी एवं टिकाऊ विकास के लिए पानी एक चिंता का विषय है । इसमें पर्यावरण का समग्र संरक्षण, गरीबी और भूख उन्मूलन और मानव स्वास्थय एवं कल्याण जैसे सभी विषय पानी से ही जुड़े हुए हैं ।

उपरोक्त सम्बन्ध में एक दो दिवसीय विचार विमर्श 21 और 22 नवम्बर 2012 को नयी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है जिसमे इस विषय से सम्बंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है जो की वर्तमान जल नीति के प्रारूप पर एक सार्थक बहस कर सकें और अपने विशेष परामर्श और विशिष्ट नीतिगत मुद्दों पर योगदान कर सकें ।

दाक्षेश एशियन नेटवर्क फॉर सोशल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (SANSAD)
सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडेरिटी (CWS)